lfpdkLr lfpdkvk dh lph&2015

vizSy&2015

iqfyl foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	02 / लोक(पुलिस)10 / 13	मार पीट कर बेहोस करने के आरोपी थाना प्रभारी देवेन्द्र वर्मा पर कार्रवाई करने के संबंध में श्री बिनोदकुमार साहू, लोहरदगा का परिवाद ।	08-04-2015	पुलिस अधीक्षक लोरदगा से प्राप्ज जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के कुछ आरोप सही नहीं पाये गये जो आरोप सही पाये गये उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02 / लोक(पुलिस)05 / 14	दीपक राम द्वारा परिवादीनी का शारिरिक शोषण करने इसके विरूद्ध डोमचांच थाना में दर्ज FIR 93/13 पर पुलिस द्वारा समुचित कार्रवाई नहीं करने के संबंध में साजदा खातुन का परिवाद ।	16.04.2015	पुलिस अधीक्षक कोडरमा से प्रप्त प्रतिवेदन के अनुसार FIR 93/13 पर अनुसंधान प्रक्रियाधीन है। अतः उक्त के आलोक में परिवाद पर अन्य कार्रवाई एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसी आश्य के साथ परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
3.	02 / लोक(पुलिस)12 / 13	सदर थना प्रभारी हजारबाग द्वारा परिवादीनी श्रीमती पूर्णिमा देवी व उनके परिवार के सदस्यों को प्रताड़ित करने के संबंध में ।	16.04.2015	क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक उत्तरी छोटानागपुर बोकारो से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी द्वारा लगाये आरोप सही नहीं पाया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
4.	01 / लोक(पुलिस)04 / 2013	उपार्जित अवकाश के बदले वेतन एवं पेंशन भुगतान नहीं करने के संबंध में श्री बैजनाथ सिंह, पटना का परिवाद ।	16.04.2015	रेल पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के परिवाद का निराकरण कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

[kku ,o HkrRo foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k
1.	02/लोक(खनन)02/13	पेंशन का भुगतान एवं अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में श्रीमती बिमला शर्मा, शेखपुरा को परिवाद ।	13.04.2015	सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी को देय पावनाओं का भुगतान कर दिया गया तथा औपबंधिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है साथ नियमित पेंशन हेतु पेंशन प्रपत्र महालेखाकार को भेजा जा चूका है। उनकी अनुकम्पा आधारित नियुक्ति स्थगित कर दिया गया है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

f'kdk;r

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k
1.	शिकायत सं. 55/2015	प्रतिवादी द्वारा परिवादी को जातिवाचक उसंबोधित करते हुए गाली गलौज कर हाथ तोड़ने के संबंध में श्री ब्रजभूषण राम, देवघर का शिकायत ।	13.04.2015	शिकायत पत्र से स्पष्ट है कि पी.सी.आर. केस नं0 118/15 सी.जी.एम. कोर्ट देवघर में लंबित है । अतः पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
2.	शिकायत सं. 85/2015	श्री संजय उराँव, चडरी, राँची का विगत वर्षो से रहस्मय तरिके से गायब होने के संबंध में श्री धना नायक एवं अन्य चडरी, राँची का शिकायत।	16.04.2015	शिकायत किसी लोकसेवक के विरूद्ध नहीं रहने के कारण लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
3.	शिकायत सं.88/2015	चुटिया थाना काण्ड सं 29/15 से संबंधित न्यायालय अधीक्षक को हटा कर वाद का निर्णय माननीय स्तर से करने के संबंध में सुश्री सोनाली त्रिपाठी, राँची का शिकायत ।	15.04.2015	परिवादीनी का केस पूर्व से ही माननीय न्यायालय में लंबित है अतः शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। उक्त के आलोक में शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया

				गया ।
4.	शिकायत सं. 72/2015	प्रतिवादी द्वारा चिन्हित अभियुक्तों के विरूद्ध FIR दर्ज करने के बाद भीकार्रवाई नहीं करने के संबंध में श्री धर्मराज राम, गढ़वा का शिकायत ।	16.04.2015	FIR दर्ज कर लिय गयश है तथा पुलिस द्वारा अनुसंधान प्रक्रियाधीन है। अतः अन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
5.	शिकायत सं.101/2015	मो0 रामदुलारी देवी पलामू की जान–माल एवं प्रतिष्ठा की रक्षा किये जाने से संबंधित श्री संतोष तिवारी का शिकायत ।	23.04.2015	शिकायत पत्र से स्पष्ट है कि शिकायत परिवार की आपसी विवाद से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
6.	शिकायत सं.112/2015	अनुमंडल दण्डाधिकारी पाकुड़ के न्यायालय में दर्ज वाद को अन्य सक्षम न्यायालय में हस्तान्तरित करने के संबंध में इलियास शेख पाकुड़ का शिकायत ।	16.04.2015	शिकायत पूर्व से ही अनुमंडल दण्डाधिकारी पाकुड़ के न्यायालय में लंबित है। अतः वाद अग्रतर कार्रवाई हेतु योग्य नहीं है तथा माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
7.	शिकायत सं. 260/2014	राजधनवार के काली पहाड़ी क्षेत्रसे सफेद पत्थर का अवैद्य खनन किये जाने के संबंध में श्री डी.के. सिन्हा अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय गिरीडिह का शिकायत ।	08.04.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
8.	शिकायत सं. 285/2014	थाना प्रभारी मैथन द्वारा फर्जी केस में फंसाए जाने व रिश्वत की मांग के संबंध में श्री गोपाल कृष्ण मट्टू, मैथन धनबाद का शिकायत ।	08.04.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
9.	शिकायत सं. 321/2014	जालसाजी व फर्जी दस्तावेज बनाने की वजह से थ्प्त् दर्ज होने के बावजूद भी भूमाफिया को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किये जाने के संबंध में मुकेश ठाकुर लुधियाना का शिकायत ।	08.04.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
10.	शिकायत सं.279/2014	पैतृक संपति से बेदखल किये जाने के संबंध में श्री गाया सिंह रामगढ़ का शिकायत ।	08.04.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया

				गया ।
11.	शिकायत सं. 13/2015	प्रोन्नति में आदिवासी हितों की उपेक्षा के संबंध में श्री सुंदर मुर्मू व अन्य बोकारो का शिकायत ।	13.04.2015	शिकायत सरकार के नितिगत निर्णय से संबंधित है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
12.	शिकायत सं. 62/2015	जिला शिक्षा अधीक्षक हजारीबाग द्वारा नियम विरूद्ध शिक्षकों की प्रोन्नति अवरूद्ध रखने के एवं निजी लाभ के लिए भ्रष्टाचार पूर्वक कार्य करने के संबंध मो0 शमीम बड़कागांव हजारीबाग का शिकायत ।	10.04.2015	शिकायत सेवाकाल के दौरान प्रोन्नति से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
13.	शिकायत सं. 109/2014	श्री संजय कुमार दीप पी. ए. सामाज कल्याण विभाग द्वारा अनियमित रूप से पांच करोड़ की संपति अर्जित करने के संबंध में श्री श्रवण कुमार अधिवक्ता का शिकायत।	10.04.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।